न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2020 राजस्व अपील

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 22.01.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल मु. नं. 26/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज.लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 07.09.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने सम्वत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं. 94 रकबा 0.33 है. पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय पारित कर दिनांक 22.01.2020 को अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय खिलाफ कानूनी नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई सबूत व जवाब का मौका नहीं दिया जबकि सजा जैसे मुकदमे में पीडित पक्ष को सुनवाई व सबूत का मौका मिलना न्यायार्थ आवश्यक था। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्त की है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं है। अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित खसरा नं. 94 रकबा 0.33 है. भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं आज दिनांक को कोई कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं0. 94 रकबा 0.33 है. पर चने एवं गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 22.01.2020 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय के भूमि खसरा नं. 94 रकबा 0.33 है. पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं आज दिनांक को कोई कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं0. 94 रकबा 0.33 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official